08.10.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अभि. वादी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2014/00220

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार, आर.ए.एस

वाद संख्या:– 51 / 2014 दायरा दिंनाकः– 27.03.2014

GCMS:- 2014/00220

अनवान–

रामरतन गिरी पुत्र कृपगिरी जाति गुंसाई निवासी रघुनाथपुरा हाल शेरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।

...वादी

बनाम

1. हरद्वारी गिरी
2. बलदेव गिरी
3. जयदेव गिरी

} पुत्रगण कृपगिरी अकवाम गुंसाई निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. तुलसीदेवी
5. अणची देवी
6. दाखी देवी
7. कलावती देवी

} पुत्रीयां कृपगिरी पुत्र जयराम गिरी अकवाम गुंसाई निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. उप–पंजीयक सूरतगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 188, 91, 92 ए 207–209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता, **वादी**
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, **प्रतिवादी न0 1 ता 3, प्रतिवादी 4 ता 7 तर्क**
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

निर्णय

दिंनाकः– 08.10.2024

यह पत्रावली प्रस्तुत हुई वकलाम फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वादी [illegible] में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी [illegible] जयराम गिरी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 6 एच. डी. पी. के [illegible] नं. 12/33 के पत्थर नम्बर 7/252 के किला नम्बर 18, 19, 20 ता 25 व पत्थर नम्बर 6/252 के किला नम्बर 22 ता 24 व पत्थर नम्बर 5/253 के किला नम्बर 1 ता 25 व पत्थर नम्बर 6/253 के किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर नम्बर 7/253 के किला नम्बर 1 ता 25, पत्थर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 51/2014)

नम्बर 5/254 के किला नम्बर 1 ता 18 कुल 107 किता रकबा में वादी के पिता कृपगिर को 679 हिस्सा रकबा विरासतन में प्राप्त हुआ था। वादी के पिता ने अपने रकबा में से 652 हिस्सा नत्थुराम, मुखराम पिसरान किशनाराम कुम्हार को जरिये बैयनामा बेचान कर दिया जो तहसील पीलीबंगा की जमाबंदी व इन्तकाल न. 31 से साबित हैं। वादी के पिता परिवार का कर्ता होने के नाते उपरवर्णित भूमि को बैय करके उस राशि से तहसील सूरतगढ़ के चक 2 ए. एस. के खाता न. 92/81 के पत्थर नम्बर 134/5(57) के किला नम्बर 1 ता 19, 22 ता 25 में 5.719 हैक्टेयर कमांड भूमि निलामी में खरीद किया इस कारण यह भूमि(जैरवाद) भी पैतृक भूमि की श्रेणी में आने से वादी का हक व हिस्सा बनता हैं। वादी परिवार का बड़ा पुत्र होने से दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर रहता था व वादी व प्रतिवादीगण के पिता भाई हरद्वारी के साथ रहते थे। प्रतिवादी न. 2–3 ने वादी के पिता के विरूद्ध एक वाद पत्र संख्या 27/05 अनवानी बलदेव बनाम कृपगिर प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित किया गया था कि वादी के पिता से वसीयत या इकरारनामा करवा लेने का संदेह व्यक्त किया था परन्तु वाद पत्र साक्ष्य के अभाव में दिनांक 01.03.2007 को खारिज हो गया था। वादी व प्रतिवादी न. 1 ता 6 के पिता कृपगिरी ने निलामी में जो जैरवाद 5.719 हैक्टेयर रकबा खरीद किया था उसकी एक वसीयत प्रतिवादी न. 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 18.03.2010 को करके उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में तस्दीक करवा दी था। वादी का यह कथन हैं कि यह वसीयत वादी के पिता से बहला फुसला कर करवायी गयी हैं जो वादी के हितो पर निष्प्रभावी हैं, यह डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया हैं व यह भी निवेदन किया कि जैरवाद भूमि पैतृक भूमि को बेचान करके खरीदी गई हैं इसलिए भी वादी का जैरवाद भूमि में हक बनता हैं जो घोषित किया। वादी व प्रतिवादीगण की चार बहने प्रतिवादी न. 4 ता 7 हैं जो हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं इसलिए वादी को जैरवाद भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत करके वादी द्वारा वाद पत्र में मांगे गये अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को पैरावाईज इन्कार किया गया व वाद पत्र के जवाबदावा में अपना ऐतराज दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि जैरवाद रकबा शुद्ध रकबा राज था व सरकार द्वारा करवाई गई खुली निलामी में वर्ष 1969 में खरीद किया गया था व वादी द्वारा जो पैतृक रकबा का बेचान करना बता रहे हैं वह रकबा काफी समय बाद में बेचान करना बताया गया हैं। प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा अपने जवाब में यह भी बताया गया हैं कि [illegible] थे व बहुत संख्या में गाये व भैंसे रखते थे जिनसे प्राप्त दूध व घी बे[illegible] को खरीदने व बेचने का धन्धा भी करते थे व उनसे होने वाली आमदनी से [illegible] की मेहनत की रकम पास में थी। इस इलाके [illegible] जहां पशुधन व ऊंटो को चराने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 51/2014)

लिए पर्याप्त स्थान था परन्तु नहर आने के बाद रकबा काश्तकारो को पुख्ता आवंटन होने के बाद पशुओ को चराने के लिए स्थान नहीं रहने से गायो व भैंसो व उंटो को बेच दिये व कुछ गहने आदि बेच कर उन रूपयो से यह जैरवाद भूमि खरीद की गई थी। इसलिए जैरवाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता की स्वंय पैदा की गई भूमि हैं जो स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती हैं व स्वअर्जित भूमि की जो वसीयत जैरवाद भूमि की प्रतिवादी न. 1 ता 3 के पक्ष में करवायी गयी हैं वह कानूनसम्मत हैं व जैरवाद भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में नहीं आने से वादी का जैरवाद भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं होने से वादी का वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण 1 ता 3 का यह भी कहना हैं कि वादी स्वंय को जो रकबा आवंटन हुआ था उसकी समस्त किश्ते भी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता द्वारा ही जमा करवायी गई थी उनका यह भी कहना हैं कि वादी को पिता द्वारा एक ट्रेक्टर व उसका सारा सामान वादी को दिया गया था व गांव रघुनाथपुरा में पक्का मकान बनाने के लिए भी नगद राशि देकर वादी को पूरी पूरी आर्थिक मदद की गई थी जैरवाद भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा व रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से दोनो पक्षों को तहसीलदार द्वारा सुनकर ही वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया हैं वह आदेश व उप–पंजीयक से तस्दीकशुदा वसीयत किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं की गई हैं। वसीयत आज भी कानूनसम्मत होकर कायम हैं इसलिए वादी का वाद पत्र गैरकानूनी व नियमी के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं। दौराने वाद पत्र वादी द्वारा दिनांक 29.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 की बहने हैं, उनको वादी ने तर्क करवा दिया। जवाबदावा आने के बाद अदालत द्वारा वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 14.02.2020 को छः तनकीयात निम्न प्रकार से कायम की गई :–

1. आया कि वादी के दादा द्वारा वाके चक 6 एच.डी.पी. का 679 हिस्सा में से 652 हिस्सा का बेचान किया? ...वादी
2. आया कि जैरवाद रकबा वादी के पिता को परिवार का मुखिया होने से चक 2 ए.एस. का पत्थर नम्बर 134/5 का 5.719 हैक्टेयर रकबा वादी के दादा द्वारा आवंटन करवाया गया था ? ...वादी
3. आया जैरवाद रकबा बाबत पूर्व में प्रतिवादी न. 2 व 3 वादी के पिता कृपगिर के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष मि0न0 27/2005 का वाद प्रस्तुत किया गया था ? ...वादी
4. आया जैरवाद रकबा की वसीयत वादी के पिता द्वारा बिना दवाब व अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादन की गई हैं? ...प्रतिवादी
5. आया जैरवाद रकबा वादी के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं? ...प्रतिवादी
6. अन्य अनुतोष?

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकीयात कायम होने के बाद पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 06.03.2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः— 51/2014)

को रखी गई व दिनांक 09.04.2021 तक पन्द्रह तारीख पेशीया मय कोस्ट पर साक्ष्य वादी करवाने हेतु दी गई व दिनांक 09.04.2021 को वाद पत्र साक्ष्य वादी नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी के अभाव में वाद पत्र खारिज कर दिया गया परन्तु उसी दिन पुनश्च करके वादी के साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रिकार्ड पर लिया गया व आगामी दिनांक 18.05.2021 साक्ष्य वादी जिरह के लिए तय की गई परन्तु साक्ष्य वादी जिरह हेतु अदालत द्वारा दस अवसर दिये जाने के बाद भी वादी अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र की जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्यवादी जिरह तारीख 06.09.2022 को बंद करके साक्ष्य प्रतिवादी करवाये जाने हेतु आगामी तारीख तय की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा बतौर प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये व विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा जिरह करने के बाद पत्रावली अंतिम बहस हेतु रखी गई।

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में दर्ज मुख्य बिन्दुओं को ही दोहराते हुए बहस की कि जैरवाद भूमि वादी के पिता ने परिवार का मुखिया होने के नाते निलामी में अपने नाम से खरीदी थी व निलामी की जो रकम जमा करवायी गई थी वह रकम वादी के दादा जयरामगिर की भूमि वादी के पिता के नाम चक 6 एचडीपी को बेचान करके ही जैरवाद भूमि की निलामी की राशि जमा करवाने के कारण जैरवाद भूमि पैतृक भूमि की परिभाषा में आती हैं इसलिए वादी का भी जैरवाद भूमि में कानूनी हक बनता हैं। वादी का कहना हैं कि वादी के पिता के वादी सहित 4 पुत्र व 4 पुत्रीयां कुल 8 वारिस हैं परन्तु वाद पत्र में वादी ने अपनी चार बहनो प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को तर्क कर दिया व कहा कि बहनो ने अपना हक चारो भाईयो के पक्ष में त्याग कर दिया व वो कोई हक जैरवाद भूमि में लेना नहीं चाहती। इसलिए जैर वाद भूमि चक 2 ए. एस. की 5.719 हैक्टेयर में वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उसी अनुसार वादी का खाता विभाजन अलग किया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए अपने जवाबदावा के बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस की कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पिता कृपगिर पुत्र जयरामगिर ने सरकार द्वारा कृषि भूमि की खुली निलामी में जैरवाद भूमि वर्ष 1969 में खरीदी थी व उसकी सारी रकम उनके द्वारा जमा करवा दी गई थी। उनका यह भी कहना हैं कि उनका पिता उंटो का टोला रखते थे व उंटो को खरीदकर मुनाफे में बेचते थे व बहुत सारी गाये व भैसे रखते थे जिनका दुध व घी बेचकर रकम इकट्ठी की हुई थी। पहले पशुओं उंटो व गाय भैंसो को चराने के लिए सरकारी भूमि खाली होने से पशुओं को चराने में आसानी थी परन्तु बाद में भूमि काश्तकारों को आवंटन होने से चारागाह कम होने से ही वादी के पिता ने उंटो गायो व भैंसो को बेचकर व कुछ पत्नी के गहने बेच कर प्राप्त होने वाली रकम से ही जैरवाद की रकम जमा करवायी गई थी इसलिए जैरवाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता कृपगिर की स्वअर्जित भूमि थी व उस भूमि की वसीयत करवाने का उनको पूरा पूरा अधिकार था। विद्वान अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 51/2014)

की यह बहस भी हैं कि वसीयत के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया वह दोनो पक्षो को सुनकर दिया था व वह आदेश भी यथावत हैं व वसीयत उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध होने के बावजूद भी किसी सक्षम न्यायालय से आज तक निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की गई हैं। वादी द्वारा वसीयत की भूमि को पैतृक भूमि मानते हुए ही वाद पत्र प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा की घोषणा का वाद पत्र गैरकानूनी हैं चूंकि कृपगिर के कुल 8 वारिसा थे बाकी किसी भी वारिस ने वसीयत को चुनौती नहीं दी हैं। इस बाबत प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम का कानून बताते हुए बहस की गई हैं कि पैतृक सम्पति वह होती हैं जो किसी को अपने पिता या दादा से विरासतन प्राप्त हुई हो। जैरवाद भूमि तो निलामी में खरीदी गई थी इस बाबत प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक ने आरआरटी 2014(2) पेज 209 पैरा 29 में यह विवेचना की गई हैं कि पैतृक भूमि कौनसी होगी व स्व0अर्जित भूमि कौनसी होगी। इसमें कृषि स्नातक, पूर्व सैनिक या निलामी में खरीदी गई भूमियों को स्वअर्जित भूमि मानी गई हैं इसलिए जैरवाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता की स्वअर्जित भूमि थी व उसकी वसीयत करवाने का उन्हे कानूनी अधिकार था। प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक की कानूनी बिन्दू पर यह बहस भी हैं कि जिस पैतृक भूमि को बेचने की बात कही गई हैं उसका कोई बैयनामा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हैं वहीं वादी स्वंय कह रहा हैं कि पैतृक भूमि वर्ष 1970 में बेची गई थी जबकि निलामी की जैरवाद भूमि तो वर्ष 1969 को ही निलामी में खरीद की गई थी इसलिए वादी का कथन सिद्ध नहीं हो पाया हैं वहीं प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक की यह भी बहस हैं कि वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र जिरह ही नहीं करवायी गयी । शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद जिरह के लिए कभी अदालत में उपस्थित नहीं होने से वह अपने वाद पत्र व साक्ष्यो को सत्यापित ही नहीं करवा पाया। इसलिए वाद पत्र साबित ही नहीं होने से ही वाद पत्र कानूनी रूप से निरस्त होने लायक हैं। इसलिए वाद पत्र नियमो के विपरीत होने से ही वाद पत्र कानूनी रूप से निरस्त होने लायक हैं। इसलिए वाद पत्र नियमो के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो दस्तावेजो व संबंधित कानून व अपर न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयों का सम्मान पूर्वक अध्ययन व मनन किया गया। वाद पत्र में कायम तनकीयात अनुसार निर्णय किया जाना कानूनसम्मत होगा।

1. आया कि वादी के पिता द्वारा वाके चक 6 एच.डी.पी. का 679 हिस्सा में से 652 हिस्सा का बेचान किया? ...वादी

इस तनकी को सिद्ध करने [illegible]त्व वादी का था वादी द्वारा वाद पत्र के साथ चक 6 [illegible] की [illegible] के बै[illegible]प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हैं व अपने शपथ पत्र बतौर सा[illegible] जो प्रस्तुत किया गया हैं उसमें भी बैयनामा की सत्यचित्रप्रति प्रस्तुत करने का बयान नहीं दिया हैं बल्कि जमाबंदी व इन्तकाल का ही हवाला दिया गया हैं जिससे बैयनामा साबित होना नहीं माना जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 51 / 2014)

सकता व वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बतौर साक्ष्य जो प्रस्तुत किया गया हैं उसकी जिरह पर बयान देने वो अदालत से बार बार अवसर देने पर भी नहीं आये व अपने शपथ पत्र को साबित ही नहीं करवाया गया। साक्ष्य अधिनियम में भी यह प्रावधान हैं कि जो पक्षकार अपना कथन कहता हैं उसे साबित करने का दायित्व भी उसी का होता हैं। वादी अपने कथन को साबित करने में असफल रहा हैं। वादी तनकी न. 1 को साबित नहीं कर पाया इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती हैं।

2. आया कि जैरवाद रकबा वादी के पिता को परिवार का मुखिया होने से चक 2 ए.एस. का पत्थर नम्बर 134 / 5 का 5.719 हैक्टेयर रकबा वादी के दादा द्वारा आवंटन करवाया गया था ? ...वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी का था। वाद पत्र में वादी स्वंय मान कर आ रहा हैं कि जैरवाद भूमि सरकार द्वारा की गई निलामी में वादी के पिता ने अधिकतम बोली लगाकर भूमि खरीदी थी। परिवार के मुखिया को भूमि आवंटन होती तो ही यह माना जाता कि भूमि पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए परिवार के मुखिया को आवंटित की जाती हैं उसमें परिवार के सब सदस्यो का हक माना जाता परन्तु जैरवाद भूमि तो खुली निलामी में वादी के पिता ने अपनी स्वंय की रकम से खरीदी हैं जो उनकी स्व अर्जित भूमि मानी जायेगी व स्वअर्जित भूमि की वसीयत करवाने के लिए कृपगिर स्वतन्त्र था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत निर्णय की चित्रप्रति आरआरटी 2014(1) पेज 209 के पैरा 29 में प्रतिपादित सिद्धान्त से अदालत के मत को बल मिलता हैं कि जैरवाद भूमि वादी के पिता द्वारा अपनी स्वंय की रकम से खरीदी गई भूमि हैं न कि आवंटनशुदा भूमि हैं। वादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा हैं इसलिए यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती हैं।

3. आया जैरवाद रकबा बाबत पूर्व में प्रतिवादी न. 2 व 3 ने वादी के पिता कृपगिर के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष मि0न0 27 / 2005 का वाद प्रस्तुत किया गया था ? वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी पर था। वादी का कथन हैं कि उस वाद पत्र में वादी के पिता पर संदेह व अविश्वास प्रकट किया गया था इसलिए वसीयत को नहीं माना जावे। वादी स्वंय अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में स्वीकार कर रहा हैं कि यह वाद पत्र साक्ष्य के अभाव में दिनांक 01.03.2007 को खारिज हो गया था जब वादी स्वंय स्वीकार कर रहा हैं कि वाद पत्र का निर्णय गुण व दोष के आधार पर नहीं हुआ व वाद पत्र ही खारिज हो गया तो यह कथन व त[illegible] वादी के कथन से ही वादी के विरूद्ध जाती हैं। वसीयत गलत हुई है इस [illegible] को वादी अपने वाद पत्र में सिद्ध नहीं कर पाया व अपने शपथ पत्र [illegible] तरह से सत्यापित भी नहीं करवाने से यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती हैं।

4. आया जैरवाद रकबा की वसीयत वादी के पिता द्वारा बिना दवाब व अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादन की गई हैं? ...प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 51/2014)

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर था। वादी कहीं भी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि वादी के पिता पर दवाब डाल कर उनकी इच्छा के विरूद्ध यह वसीयत तस्दीक करवायी गई थी। वसीयत उप–पंजीयक कार्यालय से तस्दीकशुदा हैं। उसे विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना गलत नहीं माना जा सकता। प्रतिवादीगण ने तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 05.03.2014 को पारित किया गया हैं उसमें वसीयत के दोनो गवाहान के साक्ष्य शपथपूर्वक करवाये गये हैं। वसीयत की भूमि को स्वअर्जित मानी गई हैं वसीयत के समय जैरवाद भूमि खातेदारी थी व वसीयत कर्ता का स्वर्गवास होने के बाद वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान वादी स्वंय तहसीलदार की अदालत में उपस्थित था व वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण का आदेश आज भी कायम हैं। कब्जा काश्त भी प्रतिवादी न. 1 ता 3 का साबित किया गया हैं। वादी के पिता ने वसीयत में अपने चार पुत्रों व चार पुत्रीयों का विवरण वसीयत में दिया गया हैं व वादी को ट्रेक्टर खरीद कर देना मकान बना कर देना भी वसीयत में लिखा गया हैं। वादी को यह सिद्ध करना था कि वसीयत उनके पिता से गलत करवायी गई हैं। प्रतिवादीगण के सभी साक्ष्यों में जिरह में यह बात स्पष्ट हुई हैं कि वसीयत कृपगिर ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपनी स्वअर्जित भूमि की करवाई हुई होने से प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में सफल हुए हैं इसलिए यह तनकी बहक प्रतिवादीगण 1 ता 3 व विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती हैं।

5. आया जैरवाद रकबा वादी के पिता की स्वंयअर्जित सम्पति है? ...प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्यों व दस्तावेजी साक्ष्यो से यह तथ्य साबित किया हैं कि वादी के पिता के पास अपनी स्वंय की कमाई की रकम थी उस रकम से खुली निलामी में अधिकतम कीमत लगा कर जैरवाद भूमि खरीदी थी जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी हैं कि इस प्रकार निलामी में खरीदी गई भूमि खरीददार की स्वअर्जित भूमि मानी जायेगी। इसके विपरीत वादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

इस प्रकार पत्रावली का अध्ययन व संबंधित कानून व प्रस्तुत निर्णयो का अवलोकन करने व तनकी न. 1, 2, 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध होने व तनकी न. 4, 5 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण होने से वादी अपने वाद पत्र के तथ्यो को साबित नहीं कर पाने से वाद पत्र गैरकानूनी होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी साबित नहीं होने व गैरकानूनी होने से खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.10.2024 को [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – संदीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

रामरतन गिरी पुत्र कृपगिरी जाति गुंसाई निवासी रघुनाथपुरा हाल शेरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।

...वादी

बनाम

1. हरद्वारी गिरी
2. बलदेव गिरी
3. जयदेव गिरी

पुत्रगण कृपगिरी अकवाम गुंसाई निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. तुलसीदेवी
5. अणची देवी
6. दाखी देवी
7. कलावती देवी

पुत्रीयां कृपगिरी पुत्र जयराम गिरी अकवाम गुंसाई निवासीयान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

8. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. उप–पंजीयक सूरतगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 51 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र सुथार व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी साबित नहीं होने व गैरकानूनी होने से खारिज किया जाता हैं।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.10.2024. को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:04:54 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)